# कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती।

पत्रांकः 390 / 06 / नि0अनु0 / जि0पं0 / 2020—21

दिनांक : 06-02-2021

## ई—निविदा सूचना

जिला पंचायत श्रावस्ती लोक निर्माण विभाग अथवा सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं की ऑनलाइन ई—निविदा https://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता दिनांकः 11.02.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांकः 27.02.2021 को सायं 5:00 बजे तक ई—निविदा अपलोड कर सकते हैं। अपलोड की गयी ई—निविदा के समस्त अभिलेख मूल रूप में दिनांकः 01.03.2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अपलोडेड ई—निविदाएँ उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से निविदा समिति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में खोली जायेंगी। कार्य की निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में डाकघर की एन0एस0सी0 / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रावस्ती के पदनाम से बन्धक हो, लगाई जाएगी। निविदा सम्बन्धी नियम, शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती, जनपदीय एन0आई0सी0 के पोर्टल www.shravasti.nic.in अथवा उपरोक्त वेबसाइट पर की जा सकती है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है।

| क्र0 सं0 | विकास खण्ड | ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम | माप (लम्बाई किमी0 में / संख्या अदद में) | कार्य की लागत जी0एस0टी0 सहित (रूपये में) | जमानत धनराशि (रूपये में) | जी0एस0 टी0 सहित निविदा मूल्य (रूपये में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | हरिहरपुर रानी | हल्लाजोत | हल्लाजोत पंचपकड़ी सम्पर्क मार्ग से हल्लाजोत में रियासत यादव के पुरवा तक लेपन कार्य। | 0.200 | 1399440 | 139950 | 1180 | 3 माह |
| 2 | जमुनहा | हरदत्त नगर गिरण्ट | ग्राम पंचायत हरदत्त नगर गिरंट पक्की सड़क से जयलाल पुरवा तक पेंटिग कार्य। | 0.530 | 3181360 | 318136 | 3540 | 3 माह |
| 3 | गिलौला | लंगड़ी गूलर | राजकीय महाविद्यालय लंगड़ी गूलर पिचरोड से नहर पटरी तक लेपन कार्य। | 0.390 | 3217760 | 321800 | 3540 | 3 माह |
| 4 | जमुनहा | नासिरगंज | नासिरगंज—बरदेहरा मार्ग पर सेठ प्रभुमल निरंजन दास मेमोरियल इण्टर कॉलेज तक लेपन कार्य। | 0.421 | 2513280 | 251400 | 3540 | 3 माह |
| 5 | गिलौला | खैराकला | ग्राम पंचायत खैराकला के मजरा वेतौली से मीरचक मेनरोड तक लेपन कार्य। | 0.350 | 2894640 | 289500 | 3540 | 3 माह |
| 6 | हरिहरपुर रानी | मोहम्मद पुर | मजरा हरीपुर पक्की सड़क से नवीन के घर तक लेपन कार्य। | 0.237 | 1454320 | 145500 | 1180 | 3 माह |
| 7 | जमुनहा | शिकारीचौड़ा | को—ऑपरेटिव से सनेही गौतम के घर तक लेपन कार्य | 0.200 | 1228080 | 122850 | 1180 | 3 माह |
| 8 | गिलौला | सिसवारा | ग्राम पंचायत सिसवारा सम्पर्क मार्ग ठाकुर पुरवा तक लेपन कार्य। | 0.242 | 1552320 | 155250 | 2360 | 3 माह |
| 9 | गिलौला | भिठौरा राम सहाय | भिठौरा राम सहाय पिच रोड के बीच पूरब राजेन्द्र पासी के घर तक पूरब श्याम मनोहर के घर तक लेपन कार्य। | 0.250 | 1628480 | 162900 | 2360 | 3 माह |
| 10 | इकौना | सेमगढ़ा | ग्राम पंचायत—सेमगढ़ा अन्तर्गत बड़घरवा मेनरोड से मुनशरीफ के घर तक लेपन कार्य। | 0.275 | 1626240 | 162650 | 2360 | 3 माह |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | इकौना | इकौना देहात | इकौना देहात में टीचर्स कालोनी उत्तम चमार के घर से लाल बहादुर कोठार तक लेपन कार्य। | 0.350 | 2069200 | 206950 | 3540 | 3 माह |
| 12 | गिलौला | भवानीनगर | मनकापुर पक्की रोड से भवानी नगर पक्की रोड तक लेपन एवं काजवे पर सी0सी0 कार्य। | 0.550 | 3398080 | 339850 | 3540 | 3 माह |
| 13 | जमुनहा | बालापुर | ग्राम पंचायत वालापुर में अब्दुल्लागंज मार्ग से बालापुर गॉव तक लेपन कार्य। | 0.550 | 3571680 | 357200 | 3540 | 3 माह |

## आवश्यक नियम व शर्तें :–

1. निविदा ई–टेण्डरिंग प्रणाली से क्रय किए जाते समय टेण्डर शुल्क सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–भिनगा, जनपद श्रावस्ती में स्थित जिलानिधि खाता सं0–3186658885 एफ0आई0सी0 कोड– **CBIN0284270** में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत श्रावस्ती के नाम जमा कर उसकी स्कैन कॉपी ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा ऑनलाइन भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति के 6 माह तक निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगा रहने की जिम्मेदारी पंजीकृत ठेकेदार की होगी, ऐसा न करने पर पंजीकृत ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाएगा।
3. दिनांकः 01.03.2021 को अपरान्ह 02:00 बजे तक निविदा मूल्य की प्रति एवं जमानत धनराशि व अन्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र मूल रूप से कार्यालय में दिये गये समय के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. एकल एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात् कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जाएगी।
6. समयवृद्धि मॉगे जाने का वहीं पंजीकृत ठेकेदार हकदार होगा, जिसे कतिपय कठिनाई है और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत् पूर्ण कर दिया है, अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थदण्ड के भागीदार होंगे।
7. कार्य प्रारम्भ की तिथि से एक सप्ताह में श्रम विभाग से श्रमिकों का पंजीकरण कराना तथा साइट का पंजीकरण अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में आपकी जमानत धनराशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
8. उपरोक्त कार्यों का स्थल सत्यापन कर प्राक्कलन एक माह पूर्व बनाया गया था, जो वर्तमान कार्यस्थल के अनुसार किया जाएगा।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल की फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
10. अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों से न्यूनतम निविदा प्राप्त होने की दशा में कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती में एक सप्ताह के अन्दर शासनादेश सं0–05/2019/2902/3–2–2019–198जी0/2018 दिनांकः 16 अगस्त 2019 के क्रम में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराते हुए शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा करते हुए ही अनुबन्ध गठित किया जाएगा। शासनादेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
11. भूतत्व खनिकर्म विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
12. सम्पर्क मार्गों हेतु डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरिएड 2 वर्ष का होगा।
13. निविदा में प्रतिभाग करते समय सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र वैध होना आवश्यक होगा।
14. ठेका स्वीकृत की सूचना उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा जमानत जब्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
15. निविदा सूचना में अंकित कोई परियोजना यदि किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व निर्मित, प्रस्तावित अथवा स्वीकृत पायी जाती है, तो वह तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
16. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

06/02/2021

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत श्रावस्ती।